सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : नवरगंपुरा, **कैम्प दिनांक 14.062018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 62/2017 **दायर तारीख 08.08.2017**

1. मीरा देवी पत्नी रामपाल
2. मालीराम
3. गोर्धन
4. कृष्ण कुमार

(2 से 4) पुत्रान रामपाल

(1 से 4) जाति रैगर निवासी खातोलाई तन जवानपुरा तहसील विराटनगर

——: वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार राजोरा पुत्र छगनलाल जाति खटीक निवासी न्यू कॉलोनी शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादीगण
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 14.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाणी जोगियान के खसरा नम्बर 856/0.29, 859/0.66, 860/0.07 हैक्टेयर की खातेदारी में हिस्सा 19/120 वादी संख्या 1, हिस्सा 7/70 वादी संख्या 2 लगायत 4 यानी कुल हिस्सा 1/3 वादीगण एवं हिस्सा 2/3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्ष आराजी मुतनाजा पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है, जिसका अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं

हुआ है। अतः निवेदन है कि ग्राम ढाणी जोगियान के खसरा नम्बर 856/0.29, 859/0.66, 860/0.07 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादीगण को उनके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा संभलाया जावे तथा उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किए।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया तथा प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।

4. प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब रहा कि मिन उत्तरदाता ने खसरा नम्बर 856/0.29, 859/0.66, 860/0.07 हैक्टेयर में हिस्सा 2/3 यानी रकबा 0.68 हैक्टेयर जरिए विक्रय पत्र पूर्व खातेदार सजना देवी से दिनांक 20.10.2008 को खरीद किया है। बाहमी बंटवारा अनुसार सजना देवी को मुतनाजा में खसरा नम्बर 856/0.29 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 859/0.66 हैक्टेयर मे से 0.39 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई थी, उक्त कब्जाशुदा भूमि को प्रतिवादी ने खरीद किया है। खसरा नम्बर 856 में पूर्व खातेदार सजना देवी ने एक बोरिंग बनाकर अपने नाम कृषि विद्युत कनेक्शन भी लगवा रखा था, उक्त कनेक्शन सहित सजना देवी ने उक्त भू–भाग का बेचान कर, जिस पर प्रतिवादी काबिज काश्त होकर तथा भूमि की माप करवाकर सभी सहखातेदारों की मौजूदगी में डण्डा निर्माण करवाया था। अतः प्रतिवादी के पुख्ता कब्जे काश्त भू–भाग खसरा नम्बर 856/0.29 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा इससे लगते हुए खसरा नम्बर 859/0.66 हैक्टेयर मे से 0.39 हैक्टेयर भूमि को कानूनी बंटवारा में प्रतिवादी के नाम जमाबन्दी रिकार्ड में पृथक से दर्ज कर बटा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रवितादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

5. प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो मौका विवादित आराजी, कृषि विद्युत कनेक्शन उपभाग बिल प्रति, फोटोप्रति फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2017, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2008 बहक प्रतिवादी संख्या 1 आदि पेश किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy not Official

6. उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 21.03.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री करते हुए तहसीलदार विराटनगर को राजस्व रिकार्ड में उभय पक्षकारान के दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.04.2018 प्राप्त हुआ है।

7. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नवरगंपुरा में पेश हुई। प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप प्राप्त हुई है, जिस पर उभय पक्ष सहमत है।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम ढाणी जोगियान के खसरा नम्बर 856/0.29, 859/0.66, 860/0.07 हैक्टेयर की खातेदारी में हिस्सा 19/120 वादी संख्या 1, हिस्सा 7/70 वादी संख्या 2 लगायत 4 यानी कुल हिस्सा 1/3 वादीगण एवं हिस्सा 2/3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्ष आराजी मुतनाजा पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है, जिसका अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। दावा खाता एवं लगान विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। खाता बंटवारा करवाया जाना खातेदार का काश्तकारी अधिकार है एवं जिस पर उभय पक्ष सहमत हैं। उभय पक्षकारान की सहमति पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.04.2018 प्राप्त किया जाकर उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम सुना गया। उपस्थित पक्षकारान ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.04.2018 डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम ढाणी जोगियान की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	मीरा देवी पत्नी रामपाल हिस्सा 1615/3400, मालीराम, गोर्धन, कृष्ण कुमार पुत्र रामपाल हिस्सा 1785/3400	860/0.07, 859/0.27 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर
2	राजेन्द्र कुमार राजोरा पुत्र छगनलाल राजोरा	856/0.29/859/1/0.39 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.68 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प .... में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : नवरंगपुरा दिनांक 14.06.2018

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. मीरा देवी पत्नी रामपाल
2. मालीराम
3. गोर्धन
4. कृष्ण कुमार

(2–4) पुत्रान रामपाल — (1–4) जाति रैगर निवासी खातोलाई तन जवानपुरा तहसील विराटनगर

—: वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार राजोरा पुत्र छगनलाल जाति खटीक निवासी न्यू कॉलोनी शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

9. मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 62/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री अनिल कुमार कौशिक एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम ढाणी जोगियान के खसरा नम्बर 856/0.29, 859/0.66, 860/0.07 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादीगण को उनके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा संभलाया जावे तथा उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नवरंगपुरा में मजमा—ए—आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण दिनांक 21.03.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.04.2018 अनुसार दावा डिक्री किये जान पर उभय पक्षकार सहमत है। **अतः हुक्म**

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम ढाणी जोगियान की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	मीरा देवी पत्नी रामपाल हिस्सा 1615/3400, मालीराम, गोर्धन, कृष्ण कुमार पुत्र रामपाल हिस्सा 1785/3400	860/0.07, 859/0.27 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर
2	राजेन्द्र कुमार राजोरा पुत्र छगनलाल राजोरा	856/0.29/859/1/0.39 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.68 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प नवरंगपुरा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य....... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 14.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर